फर्द अहकाम

रामफीलाल बनाम आशीष वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 89/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		उ के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभय पक्षों की ही आई प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11/3/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	11/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपर पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध अ० नि० का० पत्र व जवाब का पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थी की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैनल शुमार होकर नम्बर सेकण्ड हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	